

संचालनालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मध्यप्रदेश

पत्रकार कॉलोनी, लिंक रोड नम्बर-3, भोपाल- 462016

फोन-0755-2556916, ईमेल- dir.socialjustice@mp.gov.in

अत्यंत महत्वपूर्ण

क्रं./ सा.सहा./2023/ 386

भोपाल, दिनांक 21/02/2023

प्रति,

समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश।

विषय :- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (7084) का भुगतान बैंक प्रणाली DigiFMS से करने के संबंध में।

संदर्भ :- शासन का पत्र क्रं. 1897/2754/2021/26-2 दिनांक 22/12/2021

संदर्भित पत्र में राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (7084) का भुगतान PFMS पोर्टल से करने का लेख किया गया था। भारत सरकार, Public Financial Management System O/o Controller General of Accounts M/o Finance, D/o Expenditure, New Delhi के ज्ञापन क्रं. C-13015(520-PtII)/MFCGA/PFMS/CSS(EAT)/2021-22/1610 Dated 30/07/2021 में CSS योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में दी गई SOP के आधार पर बैंक द्वारा विकसित प्रणाली DigiFMS से भुगतान करने का निर्णय लिया गया है।

अतः समस्त जिले दिनांक 24/02/2023 तक ही PFMS पोर्टल से भुगतान की कार्यवाही करें। दिनांक 24/02/2023 के उपरांत किसी भी हितग्राही को PFMS पोर्टल से भुगतान की कार्यवाही नहीं की जाये, जिससे कि भुगतान प्रणाली को PFMS से DigiFMS पर माइग्रेट कराया जा सके।

माइग्रेशन के उपरांत DigiFMS से भुगतान की कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु प्रशिक्षण उपरांत पृथक से निर्देश जारी किये जायेंगे।

प्रमुख सचिव द्वारा अनुमोदित

(डॉ. ई. रमेश कुमार)

वि.क.अ. सह आयुक्त,

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण म.प्र.

पृ.क्र./ सा.सहा./2023/ 387

भोपाल, दिनांक 21/02/2023

प्रतिलिपी:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.।
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र.।
4. समस्त संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, म.प्र.।
5. डिप्टी जोनल मैनेजर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, म.प्र., कृपया दिनांक 25/02/2023 को समस्त जिलों के IA Account की Limit को 0 करना सुनिश्चित करें।

वि.क.अ. सह आयुक्त,

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण म.प्र.